न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/64/2020

हीरासिंह पुत्र हुकमसिंह ग्राम व पोस्ट डहरा,तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार, नदबई ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 11.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हीरासिंह पुत्र हुकमसिंह ग्राम व पोस्ट डहरा, तहसील नदबई जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, नदबई से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट / 48 दिनांक 14.01.2021 से तहसीलदार, नदबई से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नदबई का पत्रांक 32–33 दिनांक 27.01.2021 प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, नदबई से वांछित सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नदबई ने अपने पत्र कमांक 32 दिनांक 27.01.2021 से अपीलान्ट को लिखा गया है कि उन्हें कार्यालय पत्रांक रीडर/20/194 दिनांक 14.01.21 से मूल प्रार्थना पत्र उपकोष नदबई को भेज कर इस आशय की सूचना दी जा चुकी है कि आप सम्बन्धित सूचना उपकोष कार्यालय नदबई से प्राप्त करें। वांछित सूचना वर्ष 1985 से सम्बन्धित है। दिनांक 01.04.1989 से उपकोष कार्यालय नदबई का गठन होने पर समस्त रिकार्ड तहसील से उपकोष कार्यालय नदबई को भेजा जा चुका है । तहसील कार्यालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है ।

तहसीलदार नदबई का यह कथन कि उनके कार्यालय पत्रांक रीडर/20/194 दिनांक 14.01.21 से प्रार्थी का आवेदन उपकोष नदबई को भेजते हुए आवेदक को सूचित किया गया है, की प्रति अपने पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है। तहसीलदार नदबई द्वारा यह कहना कि सूचना वर्ष 1985 से सम्बन्धित है । दिनांक 01.04.1989 से उपकोष नदबई का गठन होने पर समस्त रिकार्ड तहसील कार्यालय से उपकोष कार्यालय नदबई को भेजा जा चुका है तो इसकी पुष्टि में तहसीलदार द्वारा उपकोष नदबई को हस्तांतरित रिकार्ड की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:15:13 IST
Reason: SelfAttested

लिस्ट अपने पत्र के साथ नहीं भेजी गई है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उपकोष कार्यालय नदबई से दी जानी है । तहसीलदार नदबई से प्राप्त जबाव अस्पष्ट है। इससे यह जाहिर है कि तहसीलदार नदबई द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:15:13 IST
Reason: SelfAttested